



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 714 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 28, 2001/आश्विन 6, 1923

No. 714]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 28, 2001/ASVINA 6, 1923

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

आदेश

ORDER

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2001

New Delhi, the 28th September, 2001

का. आ. 972(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 621(अ) दिनांक 2 अगस्त, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात् :—

उक्त अधिनियम के पैरा 1 में "चार वर्षों की अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर "साढ़े चार वर्षों की अवधि के लिए" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. क्यू-17012/63/91-सीपीडब्ल्यू (भाग-1)]

सी. विश्वनाथ, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का. आ. सं. 671(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें अधिसूचना संख्यांक का. आ. 710(अ) दिनांक 12 अक्टूबर, 1996, का. आ. 590(अ), दिनांक 15 जुलाई, 1998, का. आ. 823(अ), दिनांक 16 सितम्बर, 1998 और का. आ. 621(अ), दिनांक 2 अगस्त, 1999 द्वारा संशोधन किया गया।

S. O. 972(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S. O. 621(E) dated 2nd August, 1999, namely :—

In the said notification, in paragraph 1, for the words "for a period of four years", the words "for a period of four and half years" shall be substituted.

[F. No. Q-17012/63/91-CPW(Pt. D)]

C. VISWANATH, Jt. Secy.

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 671(E) dated 30th September, 1996 and subsequently amended vide S. O. 710(E), dated 12th October, 1996, S. O. 590(E), dated 15th July, 1998, S. O. 823(E), dated 16th September, 1998 and S. O. 621(E), dated 2nd August, 1999.

